संख्या:- 2789 /33-3-2015-100(11)/2015

3258

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ समिति उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांकः 07 अक्टूबर 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 जनपदों के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 ग्राम डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राज्य स्तर पर प्रथम चरण में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में 05 जनपद-इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ तथा सोनभद्र की 10-10 ग्राम पंचायतें, जिसमें 05 ग्राम डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित एवं 05 अन्य ग्राम पंचायतों में पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- योजनान्तर्गत प्रति स्नानागृह की लागत व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन द्वारा प्रस्तावित लागत रू0-17172.85 के सापेक्ष रू0-17247.47 की लागत पर व्यय वित्त समिति द्वारा लिखित के अधीन अनुमोदित की गयी है:-

I प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।

II प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाए।

III इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु जारी की जाए, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

3-योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का चयन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा तथा चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत के माध्यम से सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0) के सत्यापन के उपरान्त जनपद को उपलब्ध कराया जायेगा।

4-पात्र लाभार्थी से तात्पर्य उस लाभार्थी से है, जिनके घर में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है अथवा कराया जा रहा है एवं निर्मित शौचालय का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा लाभार्थीयों के पास स्नानागृह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे लाभार्थियों के यहां ही स्नानागृह का निर्माण कराया जायेगा।

5-स्नानागृह निर्माण के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायतें कार्यदायी संस्था होंगी। प्रत्येक स्नानागृह की निर्माण लागत रू0-17247.47 व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है, जिनका मानकीकरण मानचित्र एवं आगणन संलग्न है।

6–वित्तीय व्यवस्था–उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक से खाता खोलकर इस धनराशि को रखा जायेगा, जो ग्राम निधि–7 कहलायेगी। ग्राम निधि–7 खाते का संचालन सचिव, ग्राम पंचायत एवं प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

7.1–अनुश्रवण–योजना शत–प्रतिशत राज्य द्वारा वित्त पोषित है तथा योजना का निरन्तर एवं गहन अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं है, अतएव योजना के अनुश्रवण हेतु व्यय होने वाली धनराशि का वहन स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

7.2–योजना का अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा तथा निदेशक पंचायतीराज के स्तर पर प्रत्येक माह मासिक बैठकों में अनुश्रवण किया जायेगा।

7.3–योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले स्नानागृहों का निर्माण तथा उपयोग का शत–प्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा एवं 25% सत्यापन सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तथा 10% सत्यापन सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) द्वारा किया जायेगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य पोषित स्नानागृह के क्रियान्वयन हेतु उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्याः (1)/33–3–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/वित्त विभाग/समग्र ग्राम विकास विभाग/नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग/महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
10– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
12– पंचायती राज अनुभाग–1/2
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव